कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, चम्पावत वन प्रभाग, चम्पावत।

Phone No. 05965/230375- Fax No.230180 Email- dfo.champawat@rediffmail.com

पत्रांक 1560 / 12-1 दिनांक , चम्पावत 5-10- 2024

सेवा में,

वन संरक्षक
उत्तरी कुमाऊं वृत्त
उत्तराखण्ड, अल्मोडा।

विषय – जनपद चम्पावत में लोहाघाट के समीप कोलीढेक में बहुददेश्यीय कृत्रिम जलाशय (झील) के निर्माण हेतु 4.50 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु सिंचाई विभाग को प्रत्यावर्तन। (प्रस्ताव संख्या– FP/UK/IRRIG/34614/2018)

संदर्भ – भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून की पत्र संख्या 8बी०/यू०सी०पी०/02/127/2018/एफ०सी0/ दिनांक 07.07.2024,

महोदय

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या–1 में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित क्षेत्र को IFA, 1927 के तहत आरक्षित वन/संरक्षित वन के रूप में उत्तराखण्ड शासन, वन अनुभाग–3 की पत्र सं0 1574/X–3–24/1(184)/2018 देहरादून दिनांक 30.09.2024 के द्वारा अधिसूचित किया गया है।

अतः यह अधिसूचना आपके अवलोकनार्थ प्रेषित की जा रही है।

संलग्नकः– उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(आर0सी0 काण्डपाल)
प्रभागीय वनाधिकारी,
चम्पावत वन प्रभाग, चम्पावत।

पत्रांक 1560/ 12-1 दिनांकित।

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कॉलोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. जिलाधिकारी महोदय, चम्पावत को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, पी0एम0जी0एस0वाई0, लोहाघाट को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रभागीय वनाधिकारी,
चम्पावत वन प्रभाग, चम्पावत।

भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय /
Ministry of Environment, Forest & Climate Change
क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून /
Regional Office, Dehradun
सत्यमेव जयते
प्रकृति रक्षति रक्षिता
Nature Protects if She is Protected
25 सुभाष रोड, देहरादून-248001/ 25 SUBHASH ROAD, DEHRADUN-248001
दूरभाष/ PHONE-0135-2650809, ई-मेल/ E-mail-moef.ddn@gov.in

पत्र सं0 8 बी/यू.सी.पी./02/127/2018/एफ.सी. **दिनांकः /07/2024**

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी
वन संरक्षण, इन्दिरानगर फारेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषयः. जनपद- चंपावत में लोहाघाट के समीप कोलीढेक में बहुउदेश्य कृत्रिम जलाशय (झील) के निर्माण हेतु 4.50 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु सिचाई विभाग को प्रत्यावर्तन ।
(Online proposal no:-FP/UK/IRRIG/34614/2018)

सन्दर्भः कार्यालय- प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड का पत्रांक 757/12-1 : देहरादून: दिनांक 17-10-2023 (received online on 24.06.2024)

महोदय,

उपरोक्त विषय पर संदर्भित पत्र का आशय ग्रहण करते हुए मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-1 के संदर्भ में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित क्षेत्र को IFA, 1927 के तहत आंरक्षित वन/ संरक्षित वन के रूप में अधिसूचित करना सुनिश्चित करें तथा अधिसूचना की प्रति इस कार्यालय को प्रदान करे ।

उपरोक्त के क्रम में जवाब प्राप्ति के उपरांत ही प्रस्ताव पर अग्रिम कार्यवाही की जा सकेगी ।

भवदीया,

Signed by Neelima Shah
Date: 07-07-2024 17:23:36

(नीलिमा शाह, भा०व०से०)
सहायक महानिरीक्षक वन (केन्द्रीय)

प्रतिलिपिः-अपर मुख्य सचिव (वन) उत्तराखण्ड शासन, सुभाष रोड़, देहरादून सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

ई0पत्रावली सं0– 76477

उत्तराखण्ड शासन
वन अनुभाग–3
संख्या– 1574/X-3-24/1(184)/2018
देहरादून: दिनांक: 30 सितम्बर, 2024

अधिसूचना

राज्यपाल, भारतीय वन अधिनियम, 1927 (अधिनियम संख्या–16 वर्ष 1927) की धारा 29 की उपधारा (1) एवं (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रयोजनार्थ जिला चम्पावत के लोहाघाट के समीप कोलीढेक में बहुउददेशीय कृत्रिम जलाशय (झील) के निर्माण हेतु हस्तान्तरित 4.50 है0 आरक्षित वन भूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु जिलाधिकारी चम्पावत द्वारा वन विभाग को हस्तान्तरित की गयी राज्य सरकार के स्वामित्व की श्रेणी–9(3)ड0 (अन्य कारणों से बंजर भूमि) की 09.00 है0 क्षेत्रफल जिसका विवरण नीचे तालिका में दिया गया है, को वन भूमि के साथ–साथ संरक्षित वन घोषित करते हैं:–

तालिका

क्र0 सं0	जिला	ग्राम	पट्टी	तहसील	खाता संख्या	खेत / खसरा संख्या	हस्तान्तरित क्षेत्रफल (है0)	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु क्षेत्रफल (है0)	भूमि की किस्म
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	चम्पावत	कोटसारी	दिगाली चौड़	लोहाघाट	107	4013	1.75	1.75	उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड0
						4038	1.664	1.664	
						4083	1.00	1.00	
						4128	0.788	0.788	
						4226	0.629	0.629	
						4303	1.295	1.295	
						4367	0.748	0.748	
						4401	1.12	1.12	
						4421	0.256	0.006	
						योग:–	9.256	09.00	

संरक्षित क्षेत्र का सीमांकन एवं स्तम्भ निर्माण किया जायेगा।

उपरोक्त क्षेत्र भू–अभिलेखों में वन विभाग के नाम नामान्तरित होने से किसी भी प्रकार की अधिकार एवं रियायतों के दावों से मुक्त है।

Signed by
Kahkashan Naseem
Date: 30-09-2024 13:14:45

(कहकशां नसीम)
अपर सचिव

संख्या:– 1574/X-3-24/1(80)/2017,तददिनांकित।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. वन महानिरीक्षक, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, जोरबाग रोड़, नई दिल्ली।

Scanned with OKEN Scanner

2. प्रमुख वन संरक्षक (HOFF), उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. प्रमुख वन संरक्षक, वन्यजीव, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड, कैम्पा।
6. आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
7. वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।
8. जिलाधिकारी, जनपद–चम्पावत।
9. प्रभागीय वनाधिकारी, चम्पावत वन प्रभाग, चम्पावत।
10. उप जिलाधिकारी, लोहाघाट।
11. निदेशक, राजकीय मुद्रणालय रूड़की को साधारण गजट के विधायी परिशिष्ट खण्ड (ब),भाग–4 में प्रकाशनार्थ।
12. एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर।
13. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

Signed by
Dhirendra Kumar Singh
Date: 30-09-2024 14:35:56

(धीरेन्द्र कुमार सिंह)
उप सचिव।

In pursuance of the provision of clause (3) of article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification.1574/X-3/24 Dehradun, dated 30 September, 24 for general information.

Government of Uttarakhand
Forest Section- 03
File No. 1574/X-3-24/1(184)/2018
Dehradun Date- 30 September, 2024

Notification

In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and (2) of section 29 of Indian Forest Act 1927, (Act-16 of 1927) for the purpose of Chapter-4 of the said Act, the Governor is pleased to declare the government owned category 09.00 hectare land as forest land as well as protected forest, which was transferred by District Collector of Champawat to the forest department for compensatory plantation against the 04.50 hectare land transfer for the construction of Artificial lake in Lohaghat, District Champawat, whose area and boundary details are given in the table below.

Table

Sr. No.	District	Village	Patti	Tehsil	Khata Number	Khet/ Khasra Number	Total area (in Hectares)	Total area acquired for C.A (in Hectares)	Category of Land
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Champawat	Kotsari	Digalichaur	Lohaghat	107	4013	1.75	1.75	Uttarakhand Government Category-9(3)d
						4038	1.664	1.664	
						4083	1.00	1.00	
						4128	0.788	0.788	
						4226	0.629	0.629	
						4303	1.295	1.295	
						4367	0.748	0.748	
						4401	1.12	1.12	
						4421	0.256	0.006	
						Total :-	9.256	09.00	

Boundary should be demarcated on the field and boundary pillars shall be constructed.

The area mentioned in table above is free from the claim of any rights and concessions, to be transferred in the name of the Forest Department in the land records.

Signed by Kahkashan Naseem Date: 30-09-2024 12:53:48

(Kahkashan Naseem)
Additional Secretary.

Copy:- Sent to the following for information and action.

1. Inspector General, Forest, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Jor Bagh Road, New Delhi.
2. Principal Chief Conservator of Forest (HoFF), Uttarakhand, Dehradun.
3. Principal Chief Conservator of Forest, Wildlife, Uttarakhand, Dehradun.
4. Principal Chief Conservator of Forests and Nodal Officer, Uttarakhand, Dehradun.

Scanned with OKEN Scanner

5. Chief Executive Officer, CAMPA,Uttarakhand.
6. Commissioner, Kumaon Mandal, Nainital.
7. Conservator of Forests, North Kumaon Circle, Uttarakhand, Almora.
8. District Magistrate, Champawat.
9. Divisional Forest Officer, Champawat Forest Division, Champawat.
10. Sub-Divisional Magistrate, Lohaghat.
11. Director, Government Currency Roorkee to be published in the Legislative Council section- (B) part-4 of the general Gazette.
12. N.I.C. Secretariate Campus.
13. Guard File.

By Order

Signed by
Dhirendra Kumar Singh
Date: 30-09-2024 14:36:22

(Dhirendra Kumar Singh)
Deputy Secretary.

Scanned with OKEN Scanner